न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) बोड़ला, जिला– कबीरधाम(छ.ग.)

प्रारूप–ड.

(नियम 7(2) देखिये)

द्वितीय संशोधित अनुमति

पृ.क्रमांक 483 /वाचक–1/अ0वि0अ0/2026 बोड़ला, दिनांक 24 /04/2026

प्रति,

जेठूराम पिता मधुर जाति गोड
ग्राम – केसदा
तहसील बोडला जिला कबीरधाम

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

––000––

विषयांतर्गत आपके द्वारा इस कार्यालय मे प्रस्तुत आवेदन पत्र पर राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त निरीक्षण जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर तहसीलदार बोडला द्वारा दिनांक 20.04.2026 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्र.	प्रजाति	छाती गोलाई (मीटर में)	अन्य विवरण
1	साल (इमारती)	0.90	सूखा गिरा
2	साल (इमारती)	1.40	सूखा गिरा
3	साल (इमारती)	0.86	सूखा खडा
4	साल (इमारती)	0.80	सूखा गिरा
5	साल (इमारती)	0.70	सूखा गिरा
6	साल (इमारती)	0.94	सूखा गिरा

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ग्राम केसदा प.ह. नं. 40 तहसीलदार बोडला जिला कबीरधाम में स्थित भूमि ख.नं. 137 रकबा 0.298 हे. में स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति साल (इमारती) सरल संख्या (कमशः) वृक्ष कमांक 03 सूखा खडा 01 नग, तथा सुखा गिरा 05 नग सागौन झाड इस प्रकार कुल 06 नग सागौन झाड विदोहन/परिवहन किये जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 24 फरवरी 2022 के नियम 4 के अनुसार छ.ग. वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क. 9 सन, 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) के अंतर्गत निर्मित छ.ग. परिवहन (वन उपज) नियम 2001 के प्रावधान के अध्याधीन रहते हुए भूमि स्वामी वृक्षो की कटाई कर सकेगा। समक्ष अनुज्ञा की प्रप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर वन मण्डलाधिकारी वृक्षो की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकडी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 95 प्रतिशत राशि भूमि स्वामी के बैंक खाते मे निक्षेपित कराएगा एवं शेष 5 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते मे जमा की जाए।

जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 5 गुना की संख्या मे वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उसका अनुरक्षा किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फिट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के माध्यम से कलेक्टर को दी जावेगी।

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रं. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

24/4/26

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बोड़ला

पृ.क्रमांक 485 /वाचक–1/अ0वि0अ0/2026 बोड़ला, दिनांक /04/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय कबीरधाम को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
2. वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार बोडला को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करना सुनिश्चित करे।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बोड़ला, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

24/4/26

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व) बोड़ला

Scanned with OKEN Scanner